राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट, रूपनगढ़ (अजमेर)

राजस्व वाद संख्या 09/2020

दायर दिनांकः-07.02.2020

1. महबूब अली पुत्र रमजानी खॉ अली जाति मुसलमान आयु 55 वर्ष, निवासी ग्राम रूपनगढ़ हाल निवासी मदनगंज किशनगढ़, जिला अजमेर राजस्थान

.........वादी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार साहब, रूपनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान

.......प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम बाबत राजस्व रेकार्ड दुरूस्ती हेतु

निर्णय

दिनांक 28.09.2021

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम रूपनगढ़ पटवार हल्का रूपनगढ़ भू0अ0नि0 क्षेत्र रूपनगढ़ तहसील रूपनगढ़ में स्थित भूमि के खाता संख्या नया 1187 खसरा नम्बर 657 रकबा 0.0485 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 658 रकबा 1.1326 हैक्टेयर भूमि स्थित है। जिसमें राजस्व रिकार्ड अनुसार वादी का सम्पूर्ण हिस्सा खातेदारी में अर्न्तनिहित है, उक्त कृषि भूमि में वादी की राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में वादी के द्वारा बैंक आफ बडौदा शाखा सुरसुरा से किसान क्रेडिट कार्ड एवं पोल्ट्री फार्म हेतु ऋण लिया था जिसके [illegible] को रोडा एक्ट 1974 की धारा 6(1) का दस्तावे[illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2021.10.20 18:06:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

हुआ। जिसकी जानकारी मुझ वादी को दिनांक 15.01.2020 को जमाबन्दी की नकल निकलवाने पर हुई। जिसके कारण माननीय न्यायालय में उक्त राजस्व वाद प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई। वाद वर्णित कृषि आराजी के ख0न0 में वादी का रहन का नामान्तरकरण बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रूपनगढ़ के नाम दर्ज से रखा है। जो राजस्व विभाग की सहवनीय भूल है जिसकी राजस्व रिकार्ड में शुद्धि करवाना अतिआवश्यक और कानूनी रूप से विधि मान्य है क्योंकि बतौर साक्ष्य के रूप में दस्तावेज बैंक का पत्र, रोड़ा एक्ट की धारा 6(1) का दस्तावेज फोटोकापी मूल, राजस्व रिकार्ड की जमाबंदी संवत 2073 से 2076 तक, राजस्व नक्शा, गिरदावरी बतौर साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किये जा रहे है। वादी ने जब पटवारी हल्का रूपनगढ़ से दिनांक 15.01.2020 को नकल प्राप्त की, तब वाद कारण उत्पन्न हुआ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी जरिये सम्मन की गई। प्रतिवादी का सम्मन तामिलशुदा प्राप्त हुआ। प्रतिवादी (तहसीलदार रूपनगढ) की ओर से भी प्रकरण में जवाब पेश किया गया। प्राप्त जवाब अनुसार ग्राम रूपनगढ़ की सेग्रीगेशन जमाबंदी 2075 (वर्ष 2019) से स्थाई खाता संख्या 1187 में ख0न0 657 रकबा 0.0485 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 658 रकबा 1.1326 हैक्टेयर भूमि महबूब अली पुत्र रमजानी खॉ (वादी) हिस्सा पूर्ण जाति मुसलमान सा0देह खातेदार राहिन (पूर्ण खाता) बैंक आफ बडौदा शाखा रूपनगढ़ के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त ख0न0 657 व 658 की भूमि जरिये नामान्तरकरण संख्या 4964 स्वीकृत दिनांक 22.01.2015 से बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रूपनगढ के रहन दर्ज हुई है। नामान्तरकरण संख्या 4964 के संलग्न रहनामानुसार नामान्तरकरण संख्या 4964 बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा सुरसुरा द्वारा जारी रहनामा धारा 6(1) जो दिनांक 21.01.2015 को उपपंजीयक [illegible] के यहॉ रजिस्टर्ड हुआ है, के आधार पर भरा गया है। [illegible] के नामान्तरकरण संख्या 4964 में बैंक का नाम बैंक [illegible] के स्थान पर बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रूपनगढ़ लिख दिया था एव [illegible]न्तरकरण संख्या 4964 दिनांक 22.01.2015 को स्वीकृत होने पर राजस्व रिकार्ड में वाद अधीन भूमि बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रूपनगढ के नाम दर्ज हो गई जो कि लिपिकीय भूल है। वादी का वाद स्वीकार कर राजस्व रिकार्ड में राहिन बैंक ऑफ

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2021.10.20 18:06:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(अजमेर)

ड़ौदा शाखा रूपनगढ़ के स्थान पर राहिन बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा सुरसुरा दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार का कोई राजहित प्रभावित नहीं होता हैं। इसलिए रिकार्ड दुरूस्ती का आदेश पारित किये जाने में प्रतिवादी तहसीलदार को कोई आपति नहीं है।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। पत्रावली के अध्ययन, अवलोकन के पश्चात वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम रूपनगढ़ के नामान्तरकरण संख्या 4964 स्वीकृत दिनांक 22.01.2015 में दर्ज राहिन बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रूपनगढ़ के स्थान पर राहिन बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा सुरसुरा दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया व शामिल पत्रावली किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2021.10.20 18:06:15 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

अंतिम डिक्री

(आर्डर 20, रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

(Civil procedure code Appendix D-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम रूपनगढ (अजमेर)

व इजलास–श्री भंवरलाल जनागल आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं0 09 / 2020

1. महबूब अली पुत्र रमजानी खॉ जाति मुसलमान आयु 55 वर्ष, निवासी ग्राम रूपनगढ़ हाल निवासी मदनगंज किशनगढ़, जिला अजमेर राजस्थान

.........वादी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार साहब, रूपनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान

.......प्रतिवादी

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अधि. एवं धारा 136 राज. भू–राजस्व अधिनियम

यह मुकदमा आज जरिये इजलास कतई रू–ब–रू श्री भंवरलाल जनागल आर.ए.एस व हाजरी वादी मिनजानिब मुद्दई व प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर अंतिम डिक्री किया जाता है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम रूपनगढ़ के नामान्तरकरण संख्या 4964 स्वीकृत दिनांक 22.01.2015 में दर्ज राहिन बैंक आफ बडौदा शाखा रूपनगढ़ के स्थान पर राहिन बैंक आफ बडौदा शाखा सुरसुरा दर्ज करने के आदेश दिये जाते है।

असप्त मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से आज दिनांक 28.09.2021 को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2021.10.20 18:06:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)